



भा.प्र.सं.उ./मा.सं.वि./आदेश/2022-23/47

मार्च 10, 2023

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

शिकायत निवारण समिति का गठन/

CONSTITUTION OF GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

संस्थान, जैसा कि एचआर मैनुअल में आवश्यक है, आईआईएम उदयपुर के कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए आसान और आसानी से सुलभ तंत्र की सुविधा के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन करता है।

The Institute, as required in the HR Manual, hereby constitutes the Grievance Redressal Committee with a view to facilitate the easy and readily accessible mechanism for prompt redressal of grievances of IIM Udaipur employees.

संस्थान की शिकायत निवारण समिति की संरचना इस प्रकार है:

The composition of the Grievance Redressal Committee of the Institute is as follows:

1. प्रो. सुमित कुमार, अध्यक्ष / Prof. Sumit Kumar, Chairperson
2. प्रो. रेजिना सुल्ताना, सदस्य / Prof. Rezina Sultana, Member
3. श्री शीतेश अगरवाल, सदस्य / Mr. Sheetesh Agarwal, Member
4. श्रीमती कविता चोटरानी, सदस्य / Ms. Kavita Chotrani, Member
5. श्री एम.आर. बैरवा, सदस्य सचिव / Mr. M. R. Bairwa, Member Secretary

शिकायत निवारण समिति का गठन 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और उपरोक्त समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

The constitution of Grievance Redressal Committee will be effective from April 01, 2023 and the above committee will function for a period of three years.

अशोक

प्रो. अशोक बनर्जी / Prof. Ashok Banerjee

निदेशक/ Director